भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान(मानद् विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा (भारत). पिन-132001.
Karnal, Haryana (India). PIN-132001

{ नकदी एवं देयक अनुभाग-तीन(डीएससी) / Cash & Bill Section-III(DSC) }

फ. न. 1-33/सी&बी-III/पार्ट-II/2023

दिनांक: 31-05-2023
01-06-2023

सभी प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष
आई.सी.ए.आर.-रा.डे.अनु.सं., करनाल
All Head of Divisions/Sections
ICAR-NDRI-Karnal

नकद अग्रदाय प्रतिपूर्ति बिलों को नकदी एवं देयक अनुभाग- III में संसाधित करते समय, यह देखा गया है कि अधिकतम प्रभाग/अनुभाग स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में यह पाया गया है कि प्रभागों/अनुभागों ने प्रतिपुर्ति के लिए स्वीकृत राशि से दोगुने राशि के बिल भेजे हैं। लेखापरीक्षा ने इसे बहुत गंभीरता से देखा है। नकद अग्रदाय राशि अत्यावश्यक और आकस्मिक कार्य के लिए है और उसी के लिए खर्च की जा सकती है और प्रतिपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बहुत स्पष्ट है, अगर कोष में नकदी नहीं है, तो खर्च नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यह देखने में आया है कि प्रभाग/अनुभाग नगदी न होने पर व्यय कर रहे हैं और वसूली के लिए बैक डेट के बिल भेज रहे हैं. लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रथा गलत और आपत्तिजनक है।
While processing Cash Imprest recoupment Bills at Cash & Bill-III level, it has been noticed that maximum divisions/sections are incurring expenses in excess i.e. beyond the sanctioned amount. Not only this, in some cases it is found that divisions/sections have sent double amount bills than the sanctioned amount for recoupment. Audit has viewed it very seriously. The cash imprest money is for urgent & emergent work and can be spent for the same and put up the bills for recoupment. It is very clear, if there is no cash in hand, expenses cannot be incurred. Contrary to this, it has been noticed that Divisions/Sections are doing expenses without having cash in hand and are sending the bills of back date for recoupment. The practice is wrong and objectionable on the Audit point of view.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी नकद अग्रदाय धारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृपया नकद अग्रदाय राशि का उपयोग करते समय और साथ ही बिलों को संसाधित करते समय उपरोक्त अनियमितताओं से बचें ताकि बिलों को नकदी एवं देयक पर सुचारू रूप से संसाधित किया जा सके।
In view of the above, all the Cash Imprest holders are hereby informed to please avoid the above irregularities while using Cash Imprest money as well as processing the bills to enable to process the bills at Cash & Bill level smoothly.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

राम प्यारी 1/6/23
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
Drawing & Disbursing Officer-II

कॉपी:
1. निदेशक, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल के प्रधान निजी सचिव कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ के प्रधान निजी सचिव। रजिस्ट्रार, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल
3. नियंत्रक, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल कृपया सूचनार्थ।